रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 341] नई दिल्ली, सोमवार, जून 20, 1988/ज्येष्ठ 30, 1910
No. 341] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 20, 1988/JYAISTHA 30, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 20 जून, 1988

(रबड़ नियंत्रण)

सा. का. नि. 716(अ).—केन्द्रीय सरकार, रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रबड़ नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रबड़ (संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रबड़ नियम, 1955 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 19 में—

(1) पहले उपबंध में "1300 रु. प्रतिमास", अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर तकनीकी पदों के मामले में 4000 रु. प्रतिमास तथा गैर तकनीकी पदों के मामले में 4500 रु. प्रतिमास, बशर्ते कि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी पदों के सृजन संबंधी प्रतिबंध आदेशों का पालन किया जाए, स्थापित किये जायेंगे।

(2) दूसरे उपबंध में "1300 रु. प्रतिमास" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर तकनीकी पदों के मामले में 4,000 रु. प्रतिमास तथा गैर तकनीकी पदों के मामले में 4500 रु., प्रति मास, बशर्ते कि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी पदों के सृजन संबंधी प्रतिबंध आदेशों का पालन किया जाए, स्थापित किए जायेंगे।

(3) तीसरे उपबंध में "ऐसे पद जिनका अधिकतम वेतन 1300 रु. प्रतिमास से अधिक है, शब्दों, अक्षरों और आंकड़ों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार के पूर्व परामर्श से अभिज्ञात मुख्य पद" शब्द स्थापित किए जायेंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 30 के उपनियम (1) में "किसी पृथक मामले में 1,000 रु." अक्षरों आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर "चोरी धोखाधड़ी तथा लापरवाही के कारण हुई क्षति के लिए 10,000 रु. तथा, किसी पृथक मामले में अन्य मामलों के लिए 20,000 रु." शब्द स्थापित किए जायेंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 32 के उपनियम (1) में "तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बढ़े या जिनमें 20,000 रु. से अधिक का व्यय अंतर्ग्रस्त है, शब्दों, अक्षरों और आंकड़ों के स्थान पर "20 लाख रु. से अधिक का व्यय अंतर्ग्रस्त है" शब्द और आंकड़े स्थापित किए जायेंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 47 में से "शुरू करना या प्रोत्साहित करना, शुरू किया गया या प्रोत्साहित उद्देश्य, आर्थिक अनुसंधान तथा साथ ही" शब्द निकाल दिए जायेंगे।

[फाइल सं. 13/2/85-प्लांट (बी)]

ओ. पी. गहरोत्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण तारीख 1 अगस्त, 1955 में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1662 के रूप में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया है :—

1. अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 549 दिनांक 14 फरवरी, 1957 (भारत के राजपत्र, भाग II खण्ड 3 में दिनांक 23 फरवरी 1957 को प्रकाशित)

2. अधिसूचना संख्या सा का. नि. 27 दिनांक 27 दिसंबर, 1968 (भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3 उप खण्ड (i) में दिनांक 27 दिसंबर, 1968 को प्रकाशित)

3. अधिसूचना संख्या सा का नि. 241 दिनांक 31 जनवरी, 1976 (भारत के राजपत्र में दिनांक 21 फरवरी, 1976 को प्रकाशित)

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 1988

(Rubber Control)

G.S.R. 716(E).—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rubber Rules, 1955, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Rubber (Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 19 of he Rubber Rules, 1955 (herein after referred to as the said rules), —

(i) in the first proviso, for the letters, figures and words, "Rs. 1300|- per mensem", the letters, figures and words, "Rs. 4000|- per mensem in the case of technical posts and Rs. 4,500 per mensem in the case of non-technical post "subject to observance of the ban orders for creation of posts issued by the Govt. from time to time" shall be substituted;

(ii) in the second proviso, for the letters, figures and words, "Rs. 1300|- per mensem", the letters, figures and words Rs. 4,000 per mensem in the case of technical posts and Rs. 4,500 per mensem in the case of non-technical post, "subject to observance of the ban orders for creation of posts issued by the Govt. from time to time" shall be substituted;

(iii) in the third proviso for the words, letters and figures "in a post the maximum salary of which exceeds Rs. 1300|- per mensem", the words "in a key post identified in prior consultation with the Central Government" shall be substituted.

3. In rule 30 of the said rules, in sub-rule (1), for the letters, figures and words "Rs. 1000|- in any single case", the letters, figures and words "Rs. 10,000 for loses due to theft, fraud and negligence and Rs. 20,000 for other cases in any single case" shall be substituted.

4. In rule 32 of the said rules, in sub-rule (1), for the words, letters and figures "extends over a period of more than three years or involves expenditure in excess of Rs. 20,000", the words and figures "involves and expenditure in excess of 20 lakh rupees" shall be substituted.

5. In rule 47 of the said rules, the words "undertake, or encourage, or cause to be undertaken or encouraged, economic research and also" shall be omitted.

[File No. 13|2|85-Plant(B)]

O. P. GAHROTRA, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published vide No. SRO 1662 in the Gazette of India Extraordinary Part II dated the 1st August, 1985 and were subsequently amended by :—

1. Notification No. SRO 549 dated the 14th February, 1957 (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3 dated the 23rd February, 1957).

2. Notification No. G.S.R. 27, dated the 27th December, 1968 (published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated the 27th December, 1968).

3. Notification No. G.S.R. 241 dated the 31st January, 1976 (published in Gazette of India dated 21st February, 1976).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988